

6-0

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-9  
संख्या- /2019/XXVII(9)/स्टाम्प-10/2017  
देहरादून: दिनांक 12 फरवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) 2015 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य आवासीय योजना हेतु हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण को ग्राम आसफनगर, तहसील रूड़की में 2.435 हे० भूमि, अन्तरित किये जाने हेतु निष्पादित अन्तरण विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी माफ करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या-20 (1)/2019/XXVII(9)/स्टाम्प-10/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
6. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रभारी एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(अनूप कुमार मिश्रा)  
अनु सचिव।

Plces  
805  
18/2/19

Government of Uttarakhand  
Finance Section-9  
No 20/2019/XXVII(9)/ Stamp/10/2017,  
Dehradun: dated: 12 February, 2019

**Notification**

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Act no 2 of 1899) The Governor is pleased to remit the Stamp duty chargeable on the Transfer of 2.435 hect. Land at Village Asafnagar, Tehsil Roorkee by way of Transfer instruments, to Hardwar- Roorkee Development Authority for Pradhanmantri Awasiya Yojana and other Awasiya Yojana under Uttarakhand Bhumi Sanyojan Yojana (Kriyanwayan) 2015.

~~(Amit Singh Negi)  
Secretary, Finance~~